रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2008/फाल्गुन 7, 1929
No. 262] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2008/PHALGUNA 7, 1929

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2008

का. आ. 395(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) मद (xiv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xiv) श्री जसबीर सिंह, औद्योगिक सलाहकार, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"।

(2) मद (xv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xv) डॉ. वाई. के. गुप्ता, फार्माकोलोजी विभाग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"।

(3) मद (xix) (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(xix) निदेशक, राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"।

(4) मद (xix) (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xix) (ग) डॉ. एन. बी. सिंह, कृषि आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"।

(5) मद (xx) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xx) डॉ. जे. एस. यादव, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टैक्नोलोजी, हैदराबाद ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"।

(6) मद (xxi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"(xxi) श्री. एम. सुब्बा राव, निदेशक, हैजार्डस सब्स्टैंसस मैनेजमैंट डिवीजन, प्रर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)" ।

[फा. सं. 19-1/2000-पीपी-1]

डब्ल्यू. आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए ।

(i) सा.का.नि. 1216 तारीख 19 अगस्त, 1971

(ii) सा.का.नि. 478(अ), तारीख 10 अगस्त, 1976

(iii) का.आ. 848(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1989

(iv) का.आ. 528(अ), तारीख 19 जुलाई, 1993

(v) का.आ. 849(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 1995

(vi) का.आ. 346(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1997

(vii) का.आ. 70(अ), तारीख 20 जनवरी, 1998

(viii) का.आ. 132(अ), तारीख 24 फरवरी, 1999

(ix) का.आ. 807(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000

(x) का.आ. 1095(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2000

(xi) का.आ. 12(अ), तारीख 5 जनवरी, 2001

(xii) का.आ. 1167(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2001

(xiii) का.आ. 1025(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2003

(xiv) का.आ. 229(अ), तारीख 23 फरवरी, 2004

(xv) का.आ. 872(अ), तारीख 30 जुलाई, 2004

(xvi) का.आ. 1433(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004

(xvii) का.आ. 1080(अ), तारीख 29 जुलाई, 2005 और

(xviii) का.आ. 1674(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2007 ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2008

S.O. 395(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely :—

In the said notification,—

(1) for item (xiv) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xiv) Shri Jasbir Singh, Industrial Advisor Department of Chemicals and Petrochemicals, Shastri Bhawan, New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

(2) for item (xv) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xv)	Dr. Y. K. Gupta, Department of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

(3) for item (xix) (b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xix)	(b)Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

(4) for item (xix) (c) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xix)	(c) Dr. N.B. Singh, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture and Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

(5) for item (xx) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xx)	Dr. J. S. Yadav, Director, Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

(6) for item (xxi) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xxi)	Shri M. Subba Rao, Director, Hazards Substances Management Division, Ministry of Environment & Forests, New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 19-1/2000-PP-I]

W. R. REDDY, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and subsequently amended *vide* :—

(i) G.S.R. 1216, dated the 19th August, 1971.
(ii) G.S.R. 478(E), dated the 10th August, 1976.
(iii) S.O. 848(E), dated the 25th October, 1989.
(iv) S.O. 528(E), dated the 19th July, 1993.
(v) S.O. 849(E), dated the 20th October, 1995.
(vi) S.O. 346(E), dated the 24th April, 1997.
(vii) S.O. 70(E), dated the 20th January, 1998.
(viii) S.O. 132(E), dated the 24th February, 1999.
(ix) S.O. 807(E), dated the 6th September, 2000.
(x) S.O. 1095(E), dated the 7th December, 2000.
(xi) S.O. 12(E), dated the 5th January, 2001.
(xii) S.O. 1167(E), dated the 23rd November, 2001.
(xiii) S.O. 1025(E), dated the 5th September, 2003.
(xiv) S.O. 229(E), dated the 23rd February, 2004.
(xv) S.O. 872(E), dated the 30th July, 2004.
(xvi) S.O. 1433(E), dated the 31st December, 2004.
(xvii) S.O. 1080(E), dated the 29th July, 2005 and
(xviii) S.O. 1674(E) dated the 28th Spetember, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2008

का.आ. 396(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,–

(1) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"1. डा. एन. बी. सिंह, कृषि आयुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली अध्यक्ष" ।

[फा. सं. 19-1/2000-पीपी-I]

डब्ल्यू. आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 में प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :–

(i) का.आ. 420(अ), तारीख 30 मई, 1997
(ii) का.आ. 71(अ), तारीख 20 जनवरी, 1998
(iii) का.आ. 23(अ), तारीख 3 जनवरी, 2000
(iv) का.आ. 972(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2000
(v) का.आ. 11(अ), तारीख 5 जनवरी, 2001
(vi) का.आ. 147(अ), तारीख 1 फरवरी, 2002
(vii) का.आ. 1024(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2003
(viii) का.आ. 873(अ), तारीख 30 जुलाई, 2004
(ix) का.आ. 1434(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004
(x) का.आ. 1081(अ), तारीख 29 जुलाई, 2005 और
(xi) का.आ. 1675(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2007 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2008

S.O. 396(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely :—

In the said notification,—

(1) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"1. Dr. N.B. Singh, Agriculture Commissioner,
Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi. Chairman".

[F. No. 19-1/2000-PP-I]

W. R. REDDY, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and subsequently amended *vide* :—

(i) S.O. 420(E), dated the 30th May, 1997.
(ii) S.O. 71(E), dated the 20th January, 1998.
(iii) S.O. 23(E), dated the 3rd January, 2000.
(iv) S.O. 972(E), dated the 2nd November, 2000.
(v) S.O. 11(E), dated the 5th January, 2001.
(vi) S.O. 147(E), dated the 1st February, 2002.
(vii) S.O. 1024(E), dated the 5th September, 2003.
(viii) S.O. 873(E), dated the 30th July, 2004.
(ix) S.O. 1434(E), dated the 31st December, 2004.
(x) S.O. 1081(E), dated the 29th July, 2005 and
(xi) S.O. 1675(E), dated the 28th September, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.